सत्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के एकादश सत्र)

फरवरी-मार्च, 2024 की कार्यसूची

(खण्ड-04)

दिनांक- 23 फरवरी, 2024

माँग संख्या - 10

आय-व्ययक शीर्षक - ऊर्जा विभाग

87. प्रभारी मंत्री, **ऊर्जा विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**ऊर्जा विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **11422,67,80,000/-** (ग्यारह हजार चार सौ बाईस करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

88-91. **श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक - ग्रामीण विकास विभाग

92. प्रभारी मंत्री, **ग्रामीण विकास विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**ग्रामीण विकास विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **14296,71,15,000/-**(चौदह हजार दो सौ छियानवे करोड़ इकहत्तर लाख पन्द्रह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

93-95. **श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक – गृह विभाग

96. प्रभारी मंत्री, **गृह विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**गृह विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **16323,83,06,000/-** (सोलह हजार तीन सौ तेईस करोड़ तिरासी लाख छः हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

97-98. **श्री राजेश कुमार एवं श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक – सामान्य प्रशासन विभाग

99. प्रभारी मंत्री, **सामान्य प्रशासन विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**सामान्य प्रशासन विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **1025,11,46,000/-**(एक हजार पच्चीस करोड़ ग्यारह लाख छियालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

100. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक – भवन निर्माण विभाग

101. प्रभारी मंत्री, **भवन निर्माण विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**भवन निर्माण विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **5012,65,48,000/- (पाँच हजार बारह करोड़ पैंसठ लाख अड़तालीस हजार)** रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

102. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक – विधान मंडल

103. प्रभारी मंत्री, **संसदीय कार्य विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**विधान मंडल**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **284,30,12,000/-**(दो सौ चौरासी करोड़ तीस लाख बारह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक - समाज कल्याण विभाग

104. प्रभारी मंत्री, **समाज कल्याण विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**समाज कल्याण विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **8238,56,50,000/-**(आठ हजार दो सौ अड़तीस करोड़ छप्पन लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

105-106. **श्री राजेश कुमार एवं अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

107. प्रभारी मंत्री, **मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **674,55,28,000/-(छः सौ चौहत्तर करोड़ पचपन लाख अट्ठाईस हजार)** रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

108. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

109. प्रभारी मंत्री, **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **1802,72,84,000/-**(एक हजार आठ सौ दो करोड़ बहत्तर लाख चौरासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

110. **श्री राजेश कुमार** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-30

आय-व्ययक शीर्षक - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

111. प्रभारी मंत्री, **अल्पसंख्यक कल्याण विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **648,65,89,000** /-(छः सौ अड़तालीस करोड़ पैंसठ लाख नवासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

112. प्रभारी मंत्री, **मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **467,24,73,000/-** (चार सौ सड़सठ करोड़ चौबीस लाख तिहत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक - निगरानी विभाग

113. प्रभारी मंत्री, **निगरानी विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**निगरानी विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **45,59,71,000/-** (पैंतालीस करोड़ उनसठ लाख इकहत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

114. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की निगरानी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-06

आय-व्ययक शीर्षक - निर्वाचन विभाग

115. प्रभारी मंत्री, **निर्वाचन विभाग** प्रस्ताव करेंगे कि "**निर्वाचन विभाग**" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **848,32,52,000/-** (आठ सौ अड़तालीस करोड़ बत्तीस लाख बावन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

(राज कुमार)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2024- 645 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण/ सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/2/24
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2024- 645 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/2/24
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2024- 645 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/2/24
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

21/2/24